न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार आर.ए.एस

रण संख्या : 70/2020

प्रार्थीगण

1. बगदा वल्द वेला
2. बाबू वल्द वेला
3. मोहरों पत्नी वेला
4. भीखा वल्द कला
5. लक्ष्मणाराम वल्द आम्बाराम
6. प्रकाश वल्द आम्बाराम
7. सीतादेवी पत्नी आम्बाराम
8. कालू वल्द टीकमा
9. नरींगा वल्द टीकमा
10. दीपा वल्द टीकमा
11. चूनी पत्नी टीकमा
12. भैरा वल्द किशना

    जाति कुंभार निवासी डेडावास जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नारणा वल्द हीरा
2. बागा वल्द हीरा
3. चतरा वल्द हीरा जाति कलबी
4. मेगा वल्द हरजी
5. सालू वल्द हरजी
6. आसू वल्द हरजी
7. माहिंगा वल्द हरजी
8. रिडमल वल्द हरजी जाति सुथार
9. उदा वल्द उका
10. मूला वल्द उका
11. धनाराम वल्द उका जाति कलबी

    निवासी डेडावास जागीर तहसील गुड़ामालानी
12. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

Signature Not Verified

—:: आ

Digitally signed by Sunil Kumar

Date: 2021.01.28 10:48:48 IST

Reason: SelfAttested

दिनांक :–15–01–2020

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत पटवार मण्डल रतनपुरा के राजस्व ग्राम डेडावास जागीर के खेत खसरा नम्बर 65 रकबा 112–16 बीघा का नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण विरूद्व बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण की विद्वान अधिवक्तागण की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073–2076 सरहद मौजा डेडावास जागीर के खेत खसरा नम्बर 65 रकबा 112–16 बीघा भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा डेडावास जागीर के खेत खसरा नम्बर 65 रकबा 112–16 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15-1-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:48:48 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी